विज्ञप्ति

मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र कमांक एफ-8-2/2013/आ.प्र./एक भोपाल दिनांक 04 जनवरी 2024 एवं म.प्र. शासन वित्त विभाग का परिपत्र क्रमांक 658/1219943/2025/ई/चार, भोपाल, दिनांक 08/04/2025 द्वारा जारी निर्देशों के अनुक्रम में संचालनालय, स्थानीय निधि संपरीक्षा म.प्र. में चतुर्थ श्रेणी के निःशक्तजनों के लिये आरक्षित निम्नलिखित रिक्त पदों की पूर्ति वॉक-इन-इन्टरव्यू के माध्यम से की जाना है। उक्त पद की रिक्तियों / शैक्षणिक अर्हता, वेतनमान निम्नानुसार है।

पदनाम	कुल रिक्त पद	दिव्यांगजन के लिये आरक्षित रिक्तियां				वेतनमान	शैक्षणिक अर्हताए	वॉक इन इन्टरव्यू की दिनांक
		दृष्टि बाधित और कम दृष्टि वाले	बहरे और कम सुनने वाले	लोकोमोटर डिसेबिलिटी (जिसमें सम्मिलित है, सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ रोग मुक्त, एसिड अटैक पीडित, मस्कुलर डिस्ट्राफी)	ऑटिज्म, बौध्दिक दिव्यांगता, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी और मानसिक बीमारी और बहुविकलांगता			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
भृत्य सह फर्रास	04	01	01	01	01	15500-49000 (सातवें वेतनमान में लेवल-1)	आठवीं कक्षा उत्तीर्ण	29.09.2025

उपरोक्त निर्धारित अर्हता पूर्ण करने वाले निःशक्त अभ्यर्थियों को वॉक-इन-इन्टरव्यू हेतु रजिस्टर्ड डाक के माध्यंम से या स्वयं कार्यालयीन समय में संचालनालय, स्थानीय निधि संपरीक्षा प्रकोष्ठ-भोपाल सतपुड़ा भवन, द्वितीय तल खण्ड-ग भोपाल में उपस्थित होकर निर्धारित प्रारूप में आवेदन प्रस्तुत कर सकते है। आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 15.09.2025 है। इस तिथि उपरांत आवेदन-पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे एवं प्राप्त आवेदनों में से नियमानुसार उचित पाये गये अभ्यर्थियों को वॉक-इन-इन्टरव्यू हेतु पृथक से सूचित किया जायेगा।

MPPLR

नियुक्ति हेतु आवश्यक शर्ते :-

1. सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश शासन के पत्र क्र.सी-3-11/12/1/13, दिनांक 03.11.12 एवं पत्र क्र./सी.3-11/2012/3 भोपाल दिनांक 13 जनवरी 2016, में संशोधित आदेश क्र.सी.3-8/2016/3-एक भोपाल दिनांक 12 मई 2017 एवं सी.3-8/2016/1/3 भोपाल दिनांक 04 जुलाई 2019 के अनुसार अभ्यर्थी की आयु की गणना 01 जनवरी 2025 की स्थिति में न्यूनतम आयु-सीमा 18 वर्ष तथा अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष होगी। निःशक्तजन के लिए अधिकतम आयु-सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

2. सक्षम अधिकारी द्वारा जारी म.प्र.का मूल निवासी होने का प्रमाण पत्र की छायाप्रति आवेदन पत्र के साथ प्रेषित करना आवश्यक हैं।

3. आवेदक को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का होने पर संबंधित वर्ग का प्रमाण-पत्र सत्यापित कर संलग्न करना अनिवार्य हैं। उल्लेखनीय हैं कि अन्य पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण पत्र चालू वित्तीय वर्ष एवं आवेदन की अंतिम तिथि से पूर्व का होना चाहिए।

4. आवेदन पत्र के साथ जिला चिकित्सा मण्डल द्वारा निर्धारित परिभाषा के अनुसार सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया निःशक्तता का प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य हैं। नोट-भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 05.05.2021 द्वारा जारी अधिसूचना अनुसार दिनांक 01.06.2021 से समस्त दिव्यांगता प्रमाण-पत्र केवल यू.डी.आई.डी पोर्टल नामितः http://www.swavlambancard.gov.in के माध्यम से नियमानुसार जारी किये गये डिजिटल प्रमाण-पत्र ही मान्य होंगे।

5. आवेदन पत्र के साथ सभी वांछित प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित छायाप्रतियाँ संलग्न करना आवश्यक हैं तथा साक्षात्कार/चयन के समय सभी वांछित प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियों का अनिवार्य रूप से अवलोकन कराना होगा।

6. साक्षात्कार के समय मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र जैसे मतदाता पहचान पत्र/पेनकार्ड/आधार कार्ड/ड्राईविंग लायसेंस/पासपोर्ट में से कोई एक उपलब्ध कराया जाना होगा।

7. उम्मीदवार का चयन उनके द्वारा प्रस्तुत अर्हकारी/शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में प्राप्तांकों के आधार पर तैयार मैरिट सूची के अनुसार होगा।

8. शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थाओं/संविदा पर कार्यरत आवेदनकर्ता को आवेदन के साथ नियुक्तिकर्ता अधिकारी का अनापत्ति प्रमाण-पत्र संलग्न करना अनिवार्य हैं।

9. आवेदक का मध्यप्रदेश शासन द्वारा निर्धारित रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन अनिवार्य रूप से संलग्न करना होगा।

10. आवेदक का आधार पंजीयन अनिवार्य हैं।

11. आवेदक के पास विज्ञापित पद की न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताएँ अनिवार्य रूप से पूर्ण होनी चाहिए।

12. अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र होगा, यदि समय-समय पर यथासंशोधित मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्ते) नियम, 1961 के नियम-6 के उपबंधों के अनुसार 26 जनवरी 2001 के पश्चात उसे कोई तीसरी संतान नही होती है । उपरोक्त सरल कमांक 1 में दर्शाये गये सभी पद अस्थाई हैं तथा चयन किये गये उम्मीदवार को मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के परिपत्र कमांक सी-3-13/2019/3/ एक दिनांक 12 दिसंबर 2019 के अनुसार यह

MPPLR